राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविधालय,कोटा।

क्रमांक :–जी.पी.के. / क्रय / NGF. / नि.सं.1 / 2018–19 / 37   दिनांकः– 5-4 –2018

:–खुली निविदा सूचना संख्या–01–:

वर्ष 2018–19 हेतु संस्था के लिए supply ,Commissioning and testing of ELECTRONIC SURVEILLANCE System (CCTV) हेतु थोक विक्रेताओं / उत्पादको / विनिर्माताओ /एक मात्र विक्रेता/ उपवितरको/ प्राधिकृत डीलरों/ विक्रेताओ /सदभावी डीलरों से मोहर बन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्रम संख्या	विभाग का नाम	अनुमानित लागत रू.लाखो में	निविदा शुल्क	धरोहर राशि	निविदा उपलब्ध हाने की दिनांक
1	Supply,Commissioning and testing of ELECTRONIC SURVEILLANCE System(CCTV) (जी शिड्यूल अनुसार)	7.10	200/-	14200/-	16-04-2018 से 30-4-2018 प्रातः 12 बजे तक

नोटः– निविदा की सभी शर्ते एवं जी शिड्यूल्ड निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न होगी। धरोहर राशि अनुमानित राशि की 2% निविदा के साथ जमा करानी होगी,। जो बैकर चैक/बैक ड्राप्ट के रूप में प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविधालय,कोटा के नाम देय होगी। बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नही किया जायेगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। निविदाए मय जी शिड्यूल के दिनांक 30–04–2018 **प्रातः12.00 बजे** तक विक्रय की जाकर उसी दिन दिनांक 30–04–2018 को **दोपहर 2.00** बजे तक महाविधालय कोटा में स्वीकार की जायेगी । प्राप्त निविदाएं दिनांक 30–04–2018 को **दोपहर 3.00 बजे** उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र महाविधालय की वेबसाइट <u>www.gpck.rejsthan.gov.in</u> एवं **sppp.raj.nic.in** से डाउनलोड कर मय निर्धारित शुल्क व धरोहर राशि के साथ महाविधालय में जमा करवायी जा सकती हैं ।

(वी.एस.शर्मा) 5/4/18

प्रधानाचार्य

राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय,कोटा।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

OFFICE OF THE PRINCIPAL GOVT. POLYTECHNIC COLLEGE, KOTA

No.GPK/Pur./Q.01-----/ /2018-19/ Dated:-

M/S -------------------------------

- -------------------------------
- -------------------------------

Sub:- Tender documents for the Tender Notice No. 01/2018-19 dated:- 01(Tender N0.-01-----)

Ref :- Your letter No. ....Dated : ....
M.O./I.P.O./D.D./Cash for Rs : .............................G.A.55 No............................

Dear Sir,

Enclosed please find herewith the following documents against above tender notice, as desired vide your letter cited above :-

1 Tender form.
2 Tender Notice
3 Genral conditions of tender and contract.
4 List showing the specifications for the stores/goods and approximate quantity required.

SPECIAL INSTRUCTIONS :-

The tender should be send in double cover envelope. The inner envelope should contain the rates quoted by the tenderer. Sepatate envelope should be used for each set of tender.

The outer envelple should contain the following with the tender's forwarding letter :-

1 Tender form duly signed & sealed.
2 General conditions of tender & contract duly signed & sealed
3 The envelope containing the rates.
4 The Demand Draft for earnest money for the complete sets as a whole or separately or a proof of exemption from it thereof.
5 The Seles Tex Clearance Certificate.
6 No tender without earnest money & Sales Tax clearance certificate will be entertained. For
7 E.M. see condition No. 23 of genral condition enclosed.

Yours faithfully

PRINCIPAL 5/4/18

GOVT. POLYTECHNIC COLLEGE,KoTA

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
OFFICE OF THE PRINCIPAL GOVT. POLYTECHNIC COLLEGE, KOTA.

:: TENDER FORM ::

I. Tender for . . . .

II. Name and Postal address of the firm submitting the tender.

III. Addressed to : The Principal Govt. Polytechnic College. KOTA.

IV. Reference :

V. The tender fee amounting to Rs: ……………………………… has been deposited vide cash receipt No. ………………………………….. And date …………………………….. Crossed Postal Order Number ……………………………………………….

VI. We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice Number01/2018-19…………… Dated ……………………………….. Issued by ………………………And also the Further Conditions of the said Tender Notice given in the attached sheets (all the pages of Which have been signed by us in token of our acceptance of the terms mentioned there in).

VII. The rates for the supply of items are mentioned in the specification on sheet attached with the tender.

VIII. Goods will be delivered with in a period of ……………………… from the date of the receipt of firm order.

IX. The rated quoted in the specification sheet are valid upto …………………………………. The period can be extended with mutual agreement.

X. Bank Draft/Bankers Cheque No. drawn on ……………………………… (Name of the Bank) Cash receipt No. /……………………………………Chalan No. …………………………… and date …………………………………….. for Rs.: ………………………. To cover earnest money is enclosed.

XI. The Income Tax Clearance Certificate, Sales Tax Registration Number and Sales Tax Clearance Certificate are submitted herewith.

XII. Declaration of manufacturer/Dealer, etc., is aloes enclosed.

Signature of Tendere with seal

==== Documents downloaded from SPPP Portal/ CollegeWebsite =====

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्ते
(देखिए नियम 68)

टिप्पणी– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।

2. वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाएंः– निविदाएं मालो के वास्तविक डीलरों द्वारा दी जायेगी। अतः वे एस. आर. प्ररूप 11 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

3. (1) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से , फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) संविदा के सम्बन्ध में फर्म के किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नहीं हों जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. GSTकर पंजीयन एवं शोधन प्रमाण पत्र (Cerarance Certificate)– कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है , यदि राज्य में प्रचलित GST वेट कर अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा। GSTवेट कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सरकिल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से वेट कर शोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।

5. विलोपित

6. निविदा प्ररूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जाएगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

7. दरे शब्दों एवं अकों दोनो में लिखी जाएंगी। इसमें कोई त्रुटियां (Error) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्वियां करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।दरों में राजस्थान वेट कर एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए ।

8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर उद्वृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिए। किन्तु चुंगीकर , केन्द्रीय/राजस्थान वेट कर को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों (सप्लाइज) के मामले मे दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते है , इन पर चुंगीकर (ऑक्ट्राय) का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी कर एवं स्थानीय करो आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने को हैं तो इन दरों में चुंगीकर (ऑक्ट्राय) एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व की दशा में विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र सप्लाई आदेश के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

9. (1) दरों की तुलना– राजस्थान के बाहर की फर्मो द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो द्वारा , जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान के लिए अधिकृत नहीं है, निविदत दरों की तुलना करने मे , राजस्थान वेट कर की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा।

(2) राजस्थान के भीतर की फर्मो के सम्बन्ध में दरों की तुलना करते समय , राजस्थान वेट कर की राशि को शामिल किया जाएगा।

10. मूल्य अधिमान– मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम , 1995 के अनुसार दी जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

==== Documents downloaded from SPPP Portal/ CollegeWebsite =====

11. विधि मान्यता : निविदायें , उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

12. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा , स्पेसीफिकेशन , साइज , मे एवं ड्राइंग आदि की सावधानीपूर्वक जांच कर ली हैं। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग स्पेसिफिकेसन ड्रांइग आदि के आश्य के बारे में कोई सन्देह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा।तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा ।

13. ठेकेदार अपने संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य ऐजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप–भाडे (सब लेट) पर नहीं देगा।

14. विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन्स) : (1) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन , ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई. एस. आई स्पेसीफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गई हो उन मदों को पूर्ण रूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

(2) तारा चिन्ह से अंकित/क्रम संख्या...पर अकित वस्तुओ का प्रदाय अन्य बातों के साथ अनुमोदित नमुनो के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थो के मामले में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमुना न हो अत्युतम गुणवता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन के अनुरूप ळें तथा क्या वे सैम्पुल यदि कोई हो के अनुसार किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अन्तिम एंव मान्य होगा।

(3) वारंटी एवं गारंटी का खंड : निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल /स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से .... दिनों/माहों की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवता के अनुरूप बनी रहेंगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो , यदि..........................दिनो/माहो की उक्त अवधि में उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओ को उपरोक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गए है (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा) तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओ को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवता के अनुरूप नहीं पायें जाएंगे रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबधं लागू होगें। निविदादाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है बदल देगा अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्या अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(4) मशीनो एवं उपकरणों के मामले में भी उक्त खण्ड (।।।) में उल्लिखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारण्टीककृत अवधि में पूर्जो को बदलेगा या किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में उन्हे वैसा पाया जायेगा ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएं कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता हो।

(5) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसी शर्तो पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएंगी वार्षिक रखरखाव (मेंटीनेस) एंव मरम्मत करने के लिए उतरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणें की नियमित समुचित सप्लाई करने के लिए भी होगा चाहे वे मशीनें या उपकरण वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन हों या अन्यथा हों। मॉडल में परिवर्तन के मामले में वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा। क्रेता अधिकारी अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रू‌प से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्टस खरीदना पसन्द कर सकेगा।

15. निरीक्षण :

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाएगा किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनों की सापग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करनें की शक्ति रखेगा।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर गोदाम एवं वर्कशाप का जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है पूर्ण पता उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में जो व्यवसाय में नए रूप में प्रविष्ट हुए है उन्हें बैंकर्स से एक परिचय–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

==== Documents downloaded from SPPP Portal/ CollegeWebsite =====

16. सैंम्पुल : अनुसुची में अंकित वस्तुओं के लिए निविदाओं के साथ उचित रूप से चेक की गई निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे सैम्पल यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएगें तो कार्यालय में प्राप्त किये जायेगें। सैम्पल प्राप्त करनें वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक सैम्पल के लिए एक रसीद दी जाएगी। यदि ये सैम्पल ट्रेन आदि से भेजे जाते है, तो इन्हें भुगतान कर भाडे द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी.आर. एक पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। केटरिग/खाद्य पदार्थो के नमूने प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैले में निविदाता के मूल्य से रखे जाने चाहिए।

17. प्रत्येक सैम्पल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबुत कागज सुरक्षित ढंग से बांध कर उसे उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा तथा उस पर निविदादाता का नाम मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है आदि लिखे जाएंगे।

18. अनुमोदित सैम्पलो को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन सैम्पलों को प्रतिधारित (Retained) किया जाएगा परन्तु उसमें किसी भी क्षति टूटफूट परीक्षण जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उतरदायी नहीं होगी।

निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा सैम्पलों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई सैम्पल प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहत (Forefeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनो को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति टूट–फूट या परीक्षण जॉच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उतरदायी नही होगी। जो नमूने वापस नही लिए जाएगे उन्हें समपहत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करनें के लिए किया जाएगा कि वे स्फेसिफिकेसन या अनुमोदित नमुनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाउस नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहो मे कराया जाएगा तथा जहां पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा उन्हैं स्वीकार किया जाएगा।

21. सैम्पुल निकालना (Drawing of Samples) : परीक्षणों के मामलें में निविदादाता या उसके प्राधिककृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में सैम्पुल लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा एक या दो सेटों का प्रयोगशालाओं एव/या परिक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तिसरा या चौथा सेट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

22. परीक्षण प्रभार : परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे । यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जायंगे।

23. रद्द करना (Rejection) : (1) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएगी उन्हे रद्द किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

(2) तथापि यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य (feasable) नहीं समझा जाए तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएगें अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अन्तिम होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

==== Documents downloaded from SPPP Portal/ CollegeWebsite =====

24. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि कमी या क्षति के लिए उतरउायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता का जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हे वह उचित समझे बेचने का अधिकार होगा।

25. निविदादाता उचित पैकिग करने के लिए उतरदायी होगा ताकि समुद्र रेल सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्त प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि क्षति टूटफूट या रिसाव (लिकेज) या किसी कमी के होने के मामले में निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जॉच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उतरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।

26. प्रदाय हेतु संविदा को यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती है तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करनें के कारणों को अभिलिखित करेगा।

27. निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।

28. (1) सुपुर्दगी अवधि : निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी वह सप्लाई आदेश की तारीख से ....की अवधि के भीतर .... तक निम्न प्रकार सामान के सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा :–

क्रम संख्या	मद	मात्रा	सुपुर्दगी अवधि

(2) मात्रा की सीमा–आदेश को फिर से देना : यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Ordres) भी निविदा में दी गयी शर्तो पर दिए जा सकेंगे परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता ऐसी सप्लाई करनें में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करनें के लिए स्वतन्त्रा होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसुली की जाएगी।

(3) यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

29. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :

(क) निविदा के साथ .... रू. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि **प्रधानाचार्य राजकीय पोलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा** के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा करायी जानी चाहिए।

(1) नकद शीर्ष 8443– सिविल निक्षेप–103 प्रतिभूति निक्षेप के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।

(2) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money) रू असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) बयाना राशि से छूट : उन फर्मो को जो निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान के पास पंजीकृत हैं उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिऐ वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई है उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण–पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर निविदाये आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हैं।

(ङ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि यदि निविदाओ को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

==== Documents downloaded from SPPP Portal/ CollegeWebsite =====

30. बयाना राशि का समपहरण : बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जाएगा–

(1) जब निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपरान्त (modification) करता है।

(2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता हो।

(3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

(4) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करनें में असफल रहता हो।

31. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Security Deposit) :

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी है उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति कि राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे–

(क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी (Pledge) रखा जाएगा।

(ग) अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डिफेंस सेविग्स सर्टिफिकेट्स किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्उर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(v) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी के सान्तर (Staggered) किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि यदि हो के समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरूद्व कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं है प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड है उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत् अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भूगतान करेगीं।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।
ममलों में समपहत किया जाएगा।

(3) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण ; प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिाक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहत किया जाएगा।

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादात सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपडत (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

32. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाडा चुका कर भेजा जाएगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना हो तो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाडे के 5 प्रतिशत की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी ।

(ii) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पेसेन्जर ट्रेन से भिजवानें की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल का भाडा विभाग द्वारा वहन किया जायेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

==== Documents downloaded from SPPP Portal/ CollegeWebsite =====

(iv) भुगतान करनें के लिए प्रेक्षण प्रभार (Remittance Charges) निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे ।

33. बीमा :

(1) सामान गन्तव्य गोदाम पर सहि दशा मे सुपूर्द किये जायेंगे । यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाष या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पडा रहनें के कारण या अन्यथा (जैसे : युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचानें के लिए बीमा करा सकेगा । यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा । तथा यदि एसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगातान करनें की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(2) यदि केता द्वारा चाहा गया हो तो केता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जायेगा । एसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए ।

34. भुगतान :—

(1) दुर्लभ एवं विशिष्ठ मामलों के सिवाये अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा । यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेक्षित करनें के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनियों आदि द्वारा वित्तिय शक्तियों में विहीत की गई सीमा तक तथा पूर्ण निरिक्षण, यदि कोई हो, किये जानें पर दिया जायेगा । अवषेष राषि का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होनें पर तथा निविदादाता को नहीं दिये गये उस संबंध का प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठांकित किये जानें पर दिया जायेगा ।

(2) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा केता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करनें पर किया जायेगा तथा सभी प्रेक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किये जायेंगे ।

(3) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राषि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जानें पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा ।

(4) उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करनें की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब वे परीक्षण कर लिये जायेंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण परीणाम विहित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप होंगे ।

35. (1) निविदा प्रपत्र मे सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ठ समय को संविदा के सार रूप में समझा जायेगा तथा सफल निविदादाता केता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होनें से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा ।

(2) परीनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) :— परीनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि मे वृद्धि करनें के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिषतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जायेगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करनें में असफल रहा है :—

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5 %
(ख) एक चोथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए	5 %
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए	7.5 %
(घ) विहित अवधि की तीन चोथाई से अधिक के विलम्ब के लिए	10 %

(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जायेगा ।

(3) परीनिर्धारित क्षति की अधिकतम राषि 10 प्रतिशत होगी ।

(4) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करनें के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसनें प्रदायगी हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होनें पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होनें की निर्धारित तारीख के बाद करेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

==== Documents downloaded from SPPP Portal/ CollegeWebsite =====

(5) यदि माल की सप्लाई करनें में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परीनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी ।

36. वसूलियॉं :– परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी । कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय(लिक्विडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी । यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी. आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अर्न्तगत कार्रवाई की जायेगी ।

37. निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करनें के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए ।

38. यदि निविदादाता एसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा जब तक की क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो ।

39. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं हैं, स्वीकार करनें, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करनें या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता नें निविदा दी है, उन सबके लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करनें या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करनें के अधिकार को अपनें पास आरक्षित रखेगा ।

40. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

(1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति
(2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष
(3) एकमात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर
(4) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र

41. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपनें वरिष्ठतम उपअधिकारी की नियुक्ति करेंगा यह उपअधिकारी इस संविदा से समबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

42. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी ।

निविदादाता के हस्ताक्षर

==== Documents downloaded from SPPP Portal/ CollegeWebsite =====

GOVT.POLYTECHNIC COLLEGE, KOTA

G-Schedule for supply, commissioning and testing of ELECTRONIC SURVEILLANCE System (CCTV) Year 2018-19

S.No.	Specification	Qty	Approx. Unit price in Rs.	Approx. total amount
1.	2MP Network IR Dome Camera,1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 2.8mm/F2.0 lens , H.264+&H.264, IP67,IK10, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V &PoE,Support mobile monitoring Approved Makes: LG / SAMSUNG / HIKVISION / SONY /BOSCH	30		
2	2 MP Network IR Bullet Camera1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 1920x1080:25fps(P)/30fps(N), 4 mm/F2.0 lens , H.264+&H.264, IP67, DWDR, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, DC12V &PoE,Support mobile monitoring Approved Makes: LG / SAMSUNG / HIKVISION / SONY /BOSCH	30		
3	32 Channel NVR with 4 SATA; 256 Mbps incoming bandwidth; 4k NVR, Support 4K Input & 4K Display & H.265+,256 Mbps,1VGA, 1HDMI Out PUT Approved Makes: LG / SAMSUNG / HIKVISION / SONY /BOSCH	2		
4	Supply and Fixing of 4TB 3.5" SATA type Surveillance Hard Disk (compatible of item no. 3) Approved Makes: TOSHIBA / SEAGATE / WD / SAMSUNG	4		
5	Supply and Fixing of 32" HD LED TV / Monitor with HDMI Cable and mounting accessories Approved Makes: LG / SAMSUNG / SONY / PHILIPS / VU	2		
6	Supply Installation, Testing & Commissioning of 4Port POE switch, unmanaged type, 10/100Mbps RJ45 ports, Supported network protocols IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at, 1GB or better switching capacity, s Surge Protection Approved Makes: CISCO / DLINK / HP / HIKVISION / NETGEAR	3		
7	Supply Installation, Testing & Commissioning of 8 Port POE switch , unmanaged type, 10/100Mbps RJ45 ports, Supported network protocols IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at, 1GB or better switching capacity, s Surge Protection Approved Makes: CISCO / DLINK / HP / HIKVISION / NETGEAR	5		
8	Supply Installation, Testing & Commissioning of 4Port switch with 4 port network Switch, unmanaged type, 10/100Mbps RJ45 ports, Supported network protocols IEEE802.3,802.3u,802.3x, 802.3af, 802.3at, 1GB or better switching capacity, s Surge Protection Approved Makes: CISCO / D-LINK / HP / HIKVISION / NETGEAR	2		

==== Documents downloaded from SPPP Portal/ CollegeWebsite =====

9	Supply and fixing of 1 KVA online UPS with internal batteries for minimum 30 min power backup complete with required accessories Approved Makes: APC / EMERSON / LUMINOUS / MICROTEK	2		
10	Supply and fixing of Junction box for Switch, power supply and other accessories Approved Make: Fabricated	2		
11	Supply and fixing of 4U mounting networking rack with fan, tray, PDU and other required accessories Approved Make: COMMRACK / PRESIDENT / NETRACK/DYNAMIC	13		
12	Supply of 4 pair, outdoor CAT 6A SFTP - Foiled Twisted Cable as per latest amendments of TIA /EIA 568 C.2 Specifications 305mtr roll. Approved Makes: MOLEX / AMP / TYCO / D-LINK	15		
13	Supplying and drawing of ISI marked 2 core 1.5sqmm power cable 90 mtr. Approved Makes: POLYCAB / HAVELLS / Anchor	5		
14	Supplying and drawing/installation of RJ45 CONNECTER makes:POLYCAB / HAVELLS / RR KABEL/D-LINK	200		
15	Supplying and drawing 12 Core Multi Mode Optical Fiber with Required Accessories in mtr. Approved Makes: Finolex / Sterlite/ KAY KAY	100		
16	Supplying and drawing of 25 mm pvc conduit pipe 10 feet length of each piece with all fixing accessories for drawing of power and CAT6 cable Approved Make: ISI mark pipe	500		
17	Installation, commissioning and test per camera	60		
18	Cable laying ,installation and testing cost in mtr	4575		
19	Total Cost of whole system in Rs.			

Note : -

1. The quantity of item no. 1,2,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17 and 18 may vary at the time of system installation. So the final payment will be made on actual quantity consumed in the installation process.
2. Cameras installed at library and computer labs should also be connected to respective labs and library computers.
3. The System will be installed within college premises at the locations suggested by technical committee. The supplier will be bound to follow instructions given by technical committee.
4. The Tender will be awarded to the bidder whose total system cost will be the lowest. Cost of individual items will not be compared to award the tender.
5. The bidder is bound to submit his quotation/rate of every item mentioned in the given G-schedule of the tender.
6. Cameras and NVRs should be UL, CE and FCC certified. It should confirm to ONVIF Standards.
7. Camera and NVR should be of same make for good compatibility.
8. The bidder is strictly bound to supply items of the specifications mentioned in the G-schedule only.

Signature of Tendere with seal

==== Documents downloaded from SPPP Portal/ CollegeWebsite =====

9. OEM of supplied items no. 1,2,3,5 should have own service centre in Rajasthan. Proof of service centre must be attached.

10.Bidder will have to submit a proof of buying/supplying of item no. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15 from authorized dealer of OEM.

11. Bidder should be registered with sales tax department of Rajasthan Govt. and should have been engaged in installation of CCTV system for last three years.

12. Bidder should have experience of Supply, Installation and maintenance of CCTV system and must attach work order and completion of work certificate for at least 50 IP cameras.

13. Bidder should have not been black listed from any govt. department. The bidder should provide affidavit for the same onnon judicial stamp paper of Rs 100 attested by Notary.

14. Conditional quotations/bid will not be not be accepted& rejected automatically.

15. The firms should have Audited sales turnover of INR 50 lacs or above of last year (FY 2016-17) (Please attach a copy of audited Balance Sheet (CAcertified)

16. The rates quoted must be inclusive of all kind of taxes.

17. After completion of work, Maintenance and replacement of faulty components will be executed by bidder for period of 1 year without any charge.

18. Ninety percentage of payment will be released after complete installation and verification done by committee. Rest 10% payment will be released after one year only if bidder fulfills all the terms and conditions in the tender. Year will begins from the date final verification of installation.

19. All the communication with respect to the tender shall be addressed to: Principal, polytechnic college,kota.

20. In the event of any dispute the legal matter shall be subjected to the jurisdiction of dist. kota Court only.

21. The bidder will be bound to deposit item no 12,13,14,15,16 in the Estate department of college. During the installation process the required quantity will be issued by Estate Deptt. to bidder.

22. In case of any dispute regarding payment, the combined decision of purchase and technical committee will be final.

23. The bidder will be bound to complete supply, commissioning and testing of Electronic Surveillance System (CCTV) with in 30 working days. The counting of 30 working days will begins from the date of issuance of the work order.

मैने उपरोक्त सभी शर्तो को पढ एवं समझ लिया है , जो मुझे स्वीकार है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर पता एवं मोबाईल .

==== Documents downloaded from SPPP Portal/ CollegeWebsite =====